

निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी श्री बृजेन्द्र मीना, आर.ए.एस.

मु.न.

47/2022

तारीख रजु

14/11/2022

तारीख निर्णय

28.01.26

1. रामस्वरुप पुत्र रामनारायण जाति खटीक निवासी खेडा वाढरामगढ हालवासी
आई सैकिण्ड 157 मदनगिर नई दिल्ली-62

--वादी--

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र प्रताप जाति खटीक निवासी खेडाबाढरामगढ, तहसील तलावडा।
2. धनश्याम पुत्र प्रताप जाति खटीक निवासी खेडाबाढरामगढ, तहसील तलावडा।
3. राजेन्द्र पुत्र प्रताप जाति खटीक निवासी खेडाबाढरामगढ, तहसील तलावडा।
4. रामपति बेवा प्रताप जाति खटीक निवासी खेडाबाढरामगढ, तहसील तलावडा।
5. चिरंजी पुत्र मंगडया जाति खटीक निवासी खेडाबाढरामगढ, तहसील तलावडा।
6. कान्ता पुत्री किशन जाति खटीक निवासी खेडाबाढरामगढ, तहसील तलावडा।
7. कौशल्या पुत्री किशन जाति खटीक निवासी खेडाबाढरामगढ, तहसील तलावडा।
8. बीना पुत्री किशन जाति खटीक निवासी खेडाबाढरामगढ, तहसील तलावडा।
9. मनभर पुत्री किशन जाति खटीक निवासी खेडाबाढरामगढ, तहसील तलावडा।
10. संतोष पुत्री किशन जाति खटीक निवासी खेडाबाढरामगढ, तहसील तलावडा।
11. प्रकाश पुत्र किशन जाति खटीक निवासी खेडाबाढरामगढ हाल आई सैकिण्ड
मदनगीर नई दिल्ली-62
12. महिम पुत्र किशन जाति खटीक निवासी खेडाबाढरामगढ हाल आई सैकिण्ड
55 मदनगीर नई दिल्ली-62
13. सूरजमल पुत्र नाथ्या जाति खटीक हालवासी बी- 541 नई दिल्ली।
14. प्रहलाद सिंह पुत्र नाथ्या जाति खटीक हालवासी बी- 559 नई दिल्ली।
15. लैणहोल्डर जरिये तहसीलदार तलावडा।

--प्रतिवादीगण--

दावा बावत विभाजन भूमि एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित:-1. अधिवक्ता श्री सतीश कुमार शर्मा, वादी की ओर से।

2. अधिवक्ता श्री रविशंकर शर्मा, प्रतिवादी सं० 1 ता 14 की ओर से।




निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राजस्थान)

निर्णय

यह दावा बावत भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादी की ओर से इस आशय का पेश किया गया है कि आराजी हाल ख0नं0 1571 रकबा 1.60 है0 एवं ख0नं0 1574/1837 रकबा 0.24 है0 कुला कित्ता 2 कुल रकबा 1.84 है0 वाके ग्राम रामगढ मुराढा तहसील तलावडा वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाशत की भूमि है जिससे पक्षकारान मौके पर संयुक्त रूप से काबिज काशत रहकर भूमि से हिस्से अनुसार लाभान्वित होते चले आ रहे। विवादित भूमि में वादी का हिस्सा 1/5 है। एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 प्रत्ये का 1/20 - 1/20 हिस्सा है। प्रतिवादी सं0 5 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 6 ता 12 प्रत्येक का 1/35 - 1/35 हिस्सा है तथा प्रतिवादी सं0 13 व 14 का 1/10 - 1/10 हिस्सा है। विवादित भूमि को पक्षकारान संयुक्त रूप से काशत कर उसमें पैदा होने वाली उपज को अपने अपने हिस्से अनुसार बांटते चले आ रहे हैं तथा इसी अनुसार भूमि से लाभान्वित होते चले आ रहे हैं परन्तु पिछले कुछ समय से प्रतिवादीगण के मन बदनियति पैदा हो गयी तथा प्रतिवादीगण ने भूमि में वादी के हिस्से के अनुसार फसल देने में आनाकानी करना प्रारम्भ कर दिया। इसका कारण दिनांक 16.10.2022 को जब वादी ने प्रतिवादीगण से पूछा तो प्रतिवादीगण ने कहा कि अब भूमि को हम शामलाती में काशत नहीं करेंगे तथा न ही भूमि में से कोई हिस्सा देंगे, यदि तुम्हे भूमि काशत करनी है तो तुम भूमि का विभाजन करा सकते हो। इस पर वादी ने तहसील चलकर भूमि का विभाजन सहमति से कराने के लिए कहा परन्तु प्रतिवादीगण ने मना कर दिया अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह वादी को उसके हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा पैदा नहीं करे। बिना विभाजन के भूमि का रहन वय नहीं करे।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा अपने जबाब में वाद पत्र में वर्णित भूमि का राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। उक्त के संबंध में उभयपक्षकारान ने उपस्थित होकर राजीनामा इस आशय का पेश किया है


सहायक कलेक्टर
मुख्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट
मंगलपुर सिटी (स.म.ग.०)

कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि खाना 1571 रकबा 1.60 है 1574 / 1837 रकबा 0.24 है चाके ग्राम रामगढ मुराडा तहसील तलावडा का विभाजन राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार वादी के हिस्सा 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 1 ता 4 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा प्रतिवादी सं० 5 का 1/5 हिस्सा प्रतिवादी सं० 6 ता 12 का संयुक्त रूप से 1/5 तथा प्रतिवादी सं० 13 व 14 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्से का खाता पृथक से दर्ज किया जावे। विवादित भूमि का उपरोक्त अनुसार विभाजन मीट्स एण्ड बाउण्ड्स व कब्जे अनुसार किया जाकर पक्षकारान के खाते पृथक से दर्ज किये जावे।

वादी ने आपने वाद पत्र के समर्थन ने दस्तावेज नकल जमाबंदी संवत् 2071-2074 खाता सं० 144 पेश की है। प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया।

वादीगण का दावा तहसीलदार तलावडा से विभाजन स्कीम मंगवाये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री किया गया तहसीलदार तलावडा से दिनांक 17/10/2025 को विभाजन स्कीम निम्नानुसार प्राप्त हुई।

1. रामस्वरूप पुत्र रामनारायण खसरा नम्बर 1571/1 रकबा 0.32 है 0 बारानी 3, 1574/1837/1 रकबा 0.0480 है 0 बारानी 3 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3680 है 0 हिस्सा पूर्ण जाति खटीक सा 0 खातेदार खेडाबाढ रामगढ।
2. चिरंजी पुत्र मंगडया खसरा नम्बर 1571/2 रकबा 0.32 है 0 बारानी 3, 1574/1837/2 रकबा 0.0480 है 0 बारानी 3 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3680 है 0 हिस्सा पूर्ण जाति खटीक सा 0 खातेदार खेडाबाढ रामगढ।
3. प्रकाश, मोहनसिंह पुत्र किशन खसरा नम्बर 1571/3 रकबा 0.32 है 0 बारानी 3, 1574/1837/3 रकबा 0.0480 है 0 बारानी 3 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3680 है 0 हिस्सा पूर्ण जाति खटीक सा 0 खातेदार खेडाबाढ रामगढ।
4. प्रह्लादसिंह, सुरजमल पुत्र नाथ्या खसरा नम्बर 1571/4 रकबा 0.32 है 0 बारानी 3, 1574/1837/4 रकबा 0.0480 है 0 बारानी 3 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3680 है 0 हिस्सा पूर्ण जाति खटीक सा 0 खातेदार खेडाबाढ रामगढ।
5. ओमप्रकाश, घनश्याम, राजेन्द्र पुत्र प्रताप, रामपति पत्नि स्व 0 प्रताप खसरा नम्बर 1571/5 रकबा 0.32 है 0 बारानी 3, 1574/1837/5 रकबा 0.0480 है 0 बारानी 3 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3680 है 0 हिस्सा पूर्ण जाति खटीक सा 0 खातेदार खेडाबाढ रामगढ।



बहस विद्वान अभिवक्ता विभाजन स्कीम पर सुनी गई वकील वादी द्वारा तहसीलदार तलाबडा से प्राप्त विभाजन स्कीम अनुसार वादी का हिस्सा विभाजित किया जाकर वादी का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रस्तुत विभाजन स्कीम का अवलोकन किया गया। चूंकि दावा विभाजन का है एवं उभय पक्षकारान विभाजन स्कीम अनुसार विभाजन करवाये जाने पर सहमत है। इसलिये वादी का दावा मुताबिक विभाजन स्कीम अनुसार डिक्री किया जाना प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण का दावा डिक्री किया जाकर तहसीलदार तलाबडा को आदेशित किया जाता है कि:-

1. रामस्वरूप पुत्र रामनारायण खसरा नम्बर 1571/1 रकबा 0.32 है० बारानी 3, 1574/1837/1 रकबा 0.0480 है० बारानी 3 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3680 है० हिस्सा पूर्ण जाति खटीक सा० खातेदार खेडाबाढ रामगढ दर्ज की जावे।
2. चिरंजी पुत्र मंगडया खसरा नम्बर 1571/2 रकबा 0.32 है० बारानी 3, 1574/1837/2 रकबा 0.0480 है० बारानी 3 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3680 है० हिस्सा पूर्ण जाति खटीक सा० खातेदार खेडाबाढ रामगढ दर्ज की जावे।
3. प्रकाश, मोहनसिंह पुत्र किशन खसरा नम्बर 1571/3 रकबा 0.32 है० बारानी 3, 1574/1837/3 रकबा 0.0480 है० बारानी 3 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3680 है० हिस्सा पूर्ण जाति खटीक सा० खातेदार खेडाबाढ रामगढ दर्ज की जावे।
4. प्रहलादसिंह, सुरजमल पुत्र नाथ्या खसरा नम्बर 1571/4 रकबा 0.32 है० बारानी 3, 1574/1837/4 रकबा 0.0480 है० बारानी 3 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3680 है० हिस्सा पूर्ण जाति खटीक सा० खातेदार खेडाबाढ रामगढ दर्ज की जावे।
5. ओमप्रकाश, घनश्याम, राजेन्द्र पुत्र प्रताप, रामपति पत्नि स्व० प्रताप खसरा



सहायक कलेक्टर
प्रथम कार्यपालक मजिस्ट्रेट
रामनगर सिटी (संगम)

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The records should be kept up-to-date and should be accessible to all relevant parties.

2. The second part of the document outlines the procedures for handling cash and other assets. It is important to ensure that all cash is properly accounted for and that there is a clear separation between personal and business funds.

3. The third part of the document discusses the importance of regular communication with stakeholders. This includes providing regular updates to investors and other interested parties, as well as being transparent about the company's financial performance and any potential risks.